न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0, हरदोई।

सत्र परीक्षण सं0-503/14

सरकार....................बनाम................मो0 अकबर आदि।

दिनांकः 08.06.16

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थनापत्र 19 ब अंतर्गत धारा 193 दं0 प्र 0 सं0 वादी अहमद रजा पुत्र मोहसिन रजा निवासी आलमनगर थाना कोतवाली जिला सीतापुर प्रस्तुत किया गया है। जिसको विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा सबमिट किया गया है। प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमा का वादी है और मृतका का सगा चाचा है। अभियुक्त नाजिम पुत्र भूरे खां मृतक का ससुर, श्रीमती बरजाना पत्नी नाजिम सास, संजय व राजू पुत्रगण नाजिम जेठ, श्रीमती रजिया पत्नी संजय व श्रीमती रजिया पत्नी राजू जिठानी व रिंकू उर्फ फिरोज व अकबर पुत्र नाजिम सभी आठ अभियुक्तगण एक साथ एक मकान में स्थित अल्लापुर निहालगंज थाना शाहाबाद जनपद हरदोई में निवास करते हैं और सभी लोग मिलकर मृतका नूरी से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और उसी कारण उसे मारते पीटते थे, उसका उत्पीड़न व प्रताड़ित करते थे। अभियुक्त नाजिम पुलिस में दरोगा था और इस कारण उसका पुलिस वालों से काफी मेल मिलाप रहता है। उपरोक्त मुकदमा में अकबर व संजय गिरफ्तार किए जुके हैं और शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पुलिस ने जानबूझकर नहीं की है। अभियुक्त अकबर की गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने के कारण संजय व अकबर के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित कर दिया। पुलिस ने अभियुक्तगणों की मदद करने की गरज से शेष अभियुक्तों के निवास अन्य जगहों पर दिखा दिया जबकि यह दायित्व अभियुक्तगण पर दौरान मुकदमा साबित करने का है। विवेचनाधिकारी ने मृतक के पिता महबूब का बयान भी गलत दर्ज कर लिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को आरोपपत्र लगने के पश्चात प्राप्त हुई तब प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना व महबूब रजा का शपथपत्र प्रेषित करते हुए जांच किसी अन्य अधिकारी द्वारा कराए जाने का शपथपत्र प्रेषित किया। जिसकी छायाप्रतियॉ दाखिल की जा रही हैं। सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और उन्हें न्यायहित में तलब करना अति आवश्यक है। अतः 193 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत वकिया अभियुक्तगण को तलब किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र के साथ छायाप्रति प्रार्थनापत्र वास्ते कराए जाने तफतीश किसी अन्य अधिकारी द्वारा, छायाप्रति शपथपत्र अहमद रजा दिनांकित 01.10.14, छायाप्रति शपथपत्र महबूबरजा दिनांकित 01.10.14 दाखिल किए गए हैं।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में धर्मपाल व अन्य बनाम स्टेट आफ हरियाणा व अन्य (2013 (82)ACC 963) एवं हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य (2014 (82)ACC 313) की विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना गया एवं केस डायरी व विधि व्यवस्थाओ का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के पर्चा नं0 एस 0 सी0 डी0 26 कागज सं0 22 अ/53 में विवेचक ने अंकित किया है कि विवेचना के क्रम में एस 0 सी0 डी0-25 दिनांकित 27.08.15 को मेरे द्वारा किता करके विवेचना के क्रम में नामित अभियुक्तगण मो0 नाजिम पुत्र स्व 0 भूरे निवासी

मियांपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी हाल नि0 मो0 लोधी थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर, मो0 राजू पुत्र मो0 नाजिम खां, रजिया पत्नी मो0 नाजिम , श्रीमती रजिया पत्नी मो0 संजय, श्रीमती बरजाना पत्नी मो0 नाजिम, मो0 फिरोज उर्फ रिंकू पुत्र मो0 नाजिम निवासी ग्राम लोधी थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर की अपराध में संलिप्तता का साक्ष्य न पाते हुए नामजदगी गलत करते हुए तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री एल0डी0 भारती के द्वारा प्रेषित आरोपपत्र सं0 12/14 दिनाक 28.08.14 का समर्थन करते हुए विवेचना समाप्त की जा चुकी है। विवेचना के क्रम में पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई महोदय द्वारा उठायी आपत्ति के संबंध में मामले की अग्रिम विवेचना के क्रम में मशरूफ हुआ। जरिए दूरभाष श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय से जनपद शाहजहांपुर जाने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी। तत्क्रम में मैं क्षेत्राधिकारी मय हमराहा कर्मचारीगण बसवारी राजकीय वाहन बुलेरो जरिए आरक्षी रामचन्द्र समेत प्रस्थान कर ग्राम लोधीपुर जनपद शाहजहांपुर आया। अभियोग से संबंधित अभियुक्तगणों की तलाश की गयी घर पर मिले, जिनसे निवास करने के संध में वोटर आई डी कार्ड इत्यादि प्राप्त किए जा रहे हैं। अवलोकन अभियोग दैनिकी में किया जा रहा है। 1. नाजिम पुत्र भूरे वोटर आई डी सं. के0के0जे0 1964758 आधार कार्ड सं0 463762705433 निवासी ग्राम कुतुआपुर सेहरामऊ दक्षिणी शाहजहांपुर, 2. श्रीमती बर्जना पत्नी मो0 नाजिम वोटर आई डी सं0 यू पी/14/065/744509 सामान्य निवास पत्रांक 1759 नि0 कुतुआपुर सेहरामऊ दक्षिणी शाहजहांपुर, 3. श्रीमती रजिया पत्नी मो0 संजू वोटर आई डी सं0 टी आई डब्लू 1875475 नि0 ग्राम लोधीपुर शाहजहांपुर, 4. श्रीमती रजिया पत्नी मो0 संजय आधार कार्ड सं0 982555529292 नि0 मियांपुर सेहरामऊ साउथ रौरा शाहजहांपुर वोटर आई डी सं0 ए पी बी 0039990 नि0 कुतुबापुर सेहरामऊ शाहजहांपुर, 5. मो0 फिरोज पुत्र मो0 नाजिम वोटर आई डी सं0 टी आई डब्लू 1875632 थाना लोधीपुर शाहजहांपुर, 6. मो0 राजू पुत्र नाजिम वोटर आई डी सं0 टी आई डब्लू 1875467 थाना लोधीपुर शाहजहांपुर में निवासी करते हैं। विवेचक ने एस0सी0डी0 के पर्चा नं0-27 में यह अंकित किया है कि आज मैं क्षेत्राधिकारी अन्य आवश्यक राजकीय कार्यां से समय निकालकर अभियोग हाजा की विवेचना में मशरूफ हुआ। कुछ बिन्दुओं पर ओर गहराई से विवेचना कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देश उच्च अधिकारीगण के माध्यम से प्राप्त होने के उपरांत मैं क्षेत्राधिकारी मय हमराह कर्मचारीगण बसवारी राजकीय वाहन बुलेरों जीप से प्रस्थान कर लोधीपुर जनपद शाहजहांपुर आया। अभियोग हाजा के कथित अभियुक्तगणें के निवास किए जाने के संबंध में सभासद लोधीपुर श्री मोहसिन अली उर्फ शानू से पूछताछ की जा रही है। मो0 मोहसिन अली उर्फ शानू पुत्र शाजिद अली निवासी खिरनी लोधीपुर इन्द्रानगर कालोनी नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर मो0 नं0 7275487724 ने बताया कि मैं वार्ड सं0 03 का मौजूदा सभासद हूं। मो0 राजू पुत्र मो0 नाजिम रजिया पत्नी मो0 राजू व फिरोज पुत्र मो0 नाजिम स्थायी रूप से मो0 लोधीपुर में ही रहते हैं मैं इन्हें भली भांति जानता एवं पहचानता हूं। यह बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस संबंध में मैं आपको प्रमाणपत्र दे रहा हूं जो मौके पर काम आवे मो0 मोहसिन अली उर्फ शानू उपरोक्त द्वारा अपना हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पैड लेटर पर प्रस्तुत किया गया। श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी भइयालाल जाटव निवासी कुतुआपुर वि0ख0 भवलखेड़ा जनद शाहजहांपुर मो0 नं0 9956514234

पूछने पर बताया कि मैं मौजूदा ग्राम पंचायत कुतुआपुर की प्रधान हूं गांव में एवं पंचायत क्षेत्र में रहने वाले भी व्यक्तियों से भली भांति वाकिफ हूं। हम ग्राम क्षेत्र पंचायत निवासी मियापुर जोकि कुतुआपुर का मजरा है। श्री मोहम्मद नाजिम पुत्र स्व0 भूरे, श्रीमती बरजाना पत्नी मो0 नाजिम, मो0 संजय पुत्र मो0 नाजिम एवं श्रीमती रजिया पत्नी मो0 संजय ग्राम मियापर मजरा कुतुआपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहांपुर के स्थायी निवासी हैं मैं इन्हे भली भांति जानती एवं पहचानती हूं। इनकी पैत्रक कोठी व मकान भी यही है। सभी लोग बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। मैं अपना लिखित प्रमाणपत्र दे रही हूं जो काम आवे।

इस प्रकार यह साबित होता है कि नाजिम, श्रीमती बरजाना, राजू, श्रीमती रजिया, रिंकू उर्फ फिरोज एवं श्रीमती रजिया, अल्लापर थाना शाहाबाद जिला हरदोई में नहीं रहते हैं बल्कि अल्लापुर से पृथक निवास स्थान पर रह रहे थे, इस कारण प्रथम दृष्टया विवेचक द्वारा घटना में उपरोक्त अभियुक्तगण की संलिप्तता नहीं पायी गयी। वादी की ओर से अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्तगण के निवास के संबंध में कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता कि यह सभी अभियुक्तगण मो0 अल्लापुर में रहते हों। इस प्रकार केस डायरी के अवलोकन के आधार पर शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थनापत्र 19 ब अंतर्गत धारा 193 दं0 प्र0 विधिक रूप से पोषणीय प्रतीत नहीं होता हैं। निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 19 ब अंतर्गत धारा 193 दं0 प्र0 सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावाली वास्ते आरोप दिनांक 24.06.16 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0 टी0 सी0,
हरदोई।